न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम बल्लाराम बाबुलाल मालाराम रामचन्द्र पि. हीरा कुम्हार हरितनगर खारिया

प्रा.पत्र नम्बर 41/2022 **GCMS No.2022/87**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14/10/2022	अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री मेवाराम चौधरी के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम हरितनगर पटवार मण्डल खारिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर के खसरा नम्बर 119 रकबा 0.49 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज चली आर रही है जिसमे से 0.13 हैक्टर को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज होकर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 23.03.2022 को एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरान की भूमि को अप्रार्थीगण सहखातेदारान के मध्य आपसी बंटवारा नही हो रखा है स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण बंटवारा नही करवा पा रहे है तथा न ही अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि रूपान्तरण करवा पा रहे है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया,पक्षकारान के मध्य बंटवारा नही होना एवं अकृषि रूपान्तरण की कार्यवाही नही हो रही है। प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया मामला सुवधिा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 23.03.2022 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	